

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
 श्रीमान जी. 27 कि. ग्राम जोधपुर के जमा न-62 में खातेदार का नाम
 किशोर कुमार पु. सीताराम

पापुडास्ता

जबकि प्रार्थी का सही नाम किशोर कुमार
 पु. सीताराम मीणा है। आधार कार्ड, PAN कार्ड, डाइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज
 से नाम किशोर मीणा पु. सीताराम मीणा है। अतः खातेदार का नाम दुरुस्त
 किया जाना प्राथमिक है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 / 01

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

दिनांक :-

12/5/23
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौडजी

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशंका की जाती है / नहीं
 की जाती है।

112
 12/5/2023

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंझु (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0)
 उदयपुरवाटी / गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	जोधपुर	2075-78 2075-78	62	किशोर कुमार पु. सीताराम	किशोर कुमार मीणा पु. सीताराम मीणा

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे। ~~अन्य उपायकारण का ब्यवस्थापन नहीं होना चाहिए।~~

12/5/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 12/5/23

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 91
 प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

12/5/23
 उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
 दिनांक :- 12/5/23